

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

—00—

क्र. 1764/वा.उ/2021/11/6,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/04/2021

- 1 संचालक,  
उद्योग संचालनालय  
उद्योग भवन, रायपुर
- 2 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,  
समस्त – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र  
छत्तीसगढ़

**विषय:—आक्सीजन सिलेण्डर का औद्योगिक प्रयोजन के प्रतिबंध के संबंध में।**

**संदर्भ:—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2021**


—00—

विषयांतर्गत राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को आक्सीजन की आपूर्ति एवं उपयोग को **दिनांक 22/04/2021** से प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1762/वा.उ/2021/11/6, दिनांक 20/04/2021 को जारी किया गया है।

2/ संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार की सूची को संशोधित किया गया है। अतः विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 20/04/2021 में 9 श्रेणी के उद्योगों को प्रतिबंध में छूट दी गई उसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- (1) क्रमांक iv) Steel Plants में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :-  
iv) Steel Plants having captive oxygen plants for internal use
- (2) अतिरिक्त क्रमांक x) के रूप में निम्नानुसार प्रविष्टि जोड़ा जाये :-  
x) Supplies made to Indian Railways

3/ शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

  
(अनुराग पाण्डेय)


संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पू.क्र.1765 / वा.उ / 2021 / 11 / 6,  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21/04/2021

- 1 **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी**, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 2 **उप सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 3 **स्टॉफ आफिसर**, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 4 **संचालक**, स्वास्थ्य सेवाए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
- 5 **नियंत्रक**, खाद्य तथा औषधि नियंत्रक संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
- 6 **समस्त कलेक्टर**, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
**संयुक्त सचिव**  
छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग